2004-05 से लंबित पदोन्नपति और नियमितीकरण की उठाई मांग

अपनी लंबित मांगों पर फिर गरजे सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर, सरकार को चेतावनी

मध्यप्रदेश शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने सौंपा ज्ञापन

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

मध्यप्रदेश शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वर्षों से लंबित मांगों का तत्काल निराकरण करने की मांग की। संघ ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि सरकार ने प्राध्यापकों की समस्याओं पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो उच्च शिक्षा व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

जल्द करें समाधान

लंबित मांगों पर सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों ने गरजते हुए कहा लंबित मांगों का जल्दी समाधान किया जाए। यह ज्ञापन प्रांतीय अध्यक्ष प्रो. आनंद शर्मा और संरक्षक प्रो. कैलाश त्यागी के निर्देशन में शासकीय होलकर (आदर्श स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. अनामिका जैन के माध्यम से भेजा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक और प्राध्यापक उपस्थित रहे।

पे-मैट्रिक्स-14 का लाभ देने की मांग

संघ ने ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2004-05 में नियुक्त बैकलॉग सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि नियुक्ति तारीख से दो वर्ष पूरी होने पर समाप्त मानते हुए उन्हें केरियर उन्नयन का लाभ दिया जाए। जिन शिक्षकों ने अभी आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं की है, उन्हें वर्ष 2028 तक का अवसर प्रदान किया जाए। प्राध्यापक संघ ने क्रीड़ा अधिकारियों और ग्रंथपालों को सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक व प्राध्यापक का पदनाम देने, उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने व यूजीसी के प्रावधानों के अनुसार पे-मैट्रिक्स-14 का लाभ देने की भी मांग उठाई।

शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ेगा असर

वर्ष 2009, वर्ष 2011 और 2019 के नियमितीकरण से वंचित सहायक प्राध्यापकों को केरियर एडवांसमेंट का लाभ जल्दी देने, जांच समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने और यूजीसी की ओर से ओरिएंटेशन व रिफ्रेशर कोर्स की बढ़ाई गई समय-सीमा के अनुरूप पात्र शिक्षकों को वेतनमान व पदनाम देने की मांग भी शामिल है। संघ ने पात्र सहायक व सह-प्राध्यापकों को पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति (डिप्लॉयमेंट) समाप्त करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन, वेतन निर्धारण, अर्जित अवकाश व समूह बीमा भुगतान के लंबित मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करने की मांग भी सरकार के सामने रखी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार परामर्शदात्री समिति की बैठकें नियमित करवाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। प्राध्यापक संघ का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग में वर्षों से लंबित इन मुद्दों के कारण शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है। यदि सरकार जल्दी निर्णय नहीं लेती है तो इसका असर प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों पर भी पड़ सकता है।

वेतन विसंगति दूर नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट

स्वास्थ्य महासंघ के सदस्यों ने अधिष्ठाता को सौंपा ज्ञापन

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर पेरा मेडिकल, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी और लिपिक वर्ग कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को तत्काल हल करने की मांग की। महासंघ ने आरोप लगाया कि 2016-17 और 2017-18 के दो वर्षों का 7 वें वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी कोर्ट जाएंगे।

2018 के नियमानुसार पदोन्नति

महासंघ के संभागीय अध्यक्ष गोपाल बहाड और जिला अध्यक्ष राजेश कटरे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पेरा मेडिकल स्टाफ , तृतीय-चतुर्थ श्रेणी और लिपिक वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति समिति गठित की जाए। 2018 से पूर्व के कर्मचारियों को पूर्व नियमों के अनुसार और 2018 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को 2018 के नियमों के अनुसार पदोन्नति दी जाए।

एरियर काफी समय से लंबित

महासंघ ने स्वशासी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एंप्लाइज कोड लागू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की भी मांग रखी। साथ ही कहा कि 10-20-30 वर्ष के समयमान वेतनमान तो मिल रहे हैं, लेकिन स्थानीय लिपिक और कोषालय की ओर से बार-बार आपत्ति लगाने और सेवा पुस्तिका ऑनलाइन न होने के कारण वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा। इससे कर्मचारियों का एरियर लंबित है। ज्ञापन के दौरान विजेंद्र परमार, नाहर सिसोदिया, शिव भाई, अभिषेक लतुलकर, अजय सोनी, प्रवीण जैन, श्वेता चौहान, चितरंजन राजे, कमल शर्मा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

किराए पर ली स्कार्पियो लेकर हुआ फरार

पकड़े जाने से बचने के लिए जीपीएस भी निकाल कर फेंका

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

तीन दिन के लिए चार पहिया वाहन किराए पर लेकर वाहन सहित फरार होने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पकड़े जाने से बचने के लिए वाहन में लगा जीपीएस सिस्टम भी निकाल दिया। लसूडिया पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। जानकारी के अनुसार राहुल पिता महेश गुप्ता निवासी सुंदरनगर एक्सटेंशन ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पूनम योगी निवासी कासा ग्रीन, तलावली चांदा ने 5 हजार रुपए प्रतिदिन के किराये पर महिंद्रा स्कार्पियो कार एमपी.09 बीजी 1902 उससे तीन दिनों के लिए ली थी। दोनों पक्षों के बीच कानूनी एग्रीमेंट तैयार कराया गया था।

पुलिस ने केस दर्ज किया

तय एग्रीमेंट के मुताबिक आरोपी पूनम योगी को यह लग्जरी वाहन 7 जुलाई को हर हाल में राहुल की फर्म को वापस लौटाना था। जब निश्चित समयावधि बीत जाने के बाद भी आरोपी गाड़ी देने नहीं पहुंचा तो फर्म प्रबंधन ने उससे संपर्क करने का प्रयास किया। शक होने पर जब फरियादी ने फर्म के ऑनलाइन सिस्टम से गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, तो पता चला कि पूनम योगी ने वाहन में लगा जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम ही निकाल कर फेंक दिया है, ताकि गाड़ी की लोकेशन ट्रेस न हो सके। वाहन हड़पने की नीयत साफ होने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

इंदौर-दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस 17 तक निरस्त

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव के कारण रेल यातायात प्रभावित हो गया है। इसके चलते रैक की अनुपलब्धता के कारण रेलवे ने इंदौर-दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस को निरस्त करने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार 10 जुलाई से 17 जुलाई तक इंदौर-दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। उल्लेखनीय है कि रेलवे ने बारिश के चलते पहले भी इंदौर से चलने वाली असारवा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें निरस्त कर दी हैं। साथ ही रेलवे ने कई ट्रेनों को री-शेड्यूल भी किया है।

अग्रवाल समाज का परिचय सम्मेलन कल

इन्दौर (आरएनएन)। श्री अग्रवाल समाज सोशल ग्रुप का 22वां अभा युवक-युवती एजुकेशन एवं हाई प्रोफाइल परिचय सम्मेलन रविवार को प्रातः 11.30 बजे श्री कच्छ पाटीदार परिसर, अग्रसेन चौराहा, नौलखा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के लिए 442 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। सभी प्रविष्टियों का उल्लेख परिणय पुस्तिका में प्रकाशित किया गया है। सम्मेलन में विभिन्न प्रदेशों से उच्च शिक्षित युवक-युवतियां भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सभी अभिभावक एवं युवक-युवतियां भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पर ऑन-द-स्पॉट पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

नामांकन फॉर्म जमा करने का आज अंतिम दिवस

इन्दौर (आरएनएन)। श्री अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने का आज अंतिम दिन है। मुख्य चुनाव अधिकारी गोपालदास अग्रवाल एवं सहायक चुनाव अधिकारी अरविंद अग्रवाल और मनीष खजांची ने बताया कि शनिवार 11 जुलाई को नामांकन जमा करने का अंतिम दिवस है। नामांकन शाम 4 से 7 बजे तक केन्द्रीय समिति के आंचल नगर, स्कीम 140, पीपल्याहाना स्थित कार्यालय पर जमा किए जा सकेंगे। सोमवार 13 जुलाई को जांच के पश्चात शाम 4 बजे वैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

GRIHUM HOUSING FINANCE

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय छठा तल, बी बिल्डिंग, गंगा टूलो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा कार्यालय इकाई: प्रथम तल, एसपी टॉवर, रविन्द्र नगर, जवाहर चौक, खरगोन, मध्य प्रदेश – 451001

ई-नीलामी – बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्तियों का बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरर(यों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे ''सुरक्षित लेनदार'' कहा जाएगा) को गिरवी रखी गई हैं, जिसका कब्जा **अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत** सूचना के अनुसरण में सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है।

सुरक्षित संपत्तियाँ **''जहाँ है जैसी है'', ''जैसी है वैसी है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर 13-08-2026** को ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएँगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं।

बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया **GHFL/**सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट **www.grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक का संदर्भ देखें।

सं. क्र.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	कब्जे की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण का दिनांक एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/न्यायालयीन मामले, यदि कोई हों (के)
1	**लोन नंबर** LAP06852000000005049161 **और** HL00685200000005044194 **जाकिर मंसूरी (कर्जदार) सबाना हमीद मंसूरी (सह-कर्जदार)**	**नोटिस की तारीख:** 09-10-2025 **कुल बकाया:** रू. 1781456/- **जिसमें** 559908/- LAP06852000000005049161 **और** 1221548/- HL0068520000 0005044194/- **में)** जो 09-10-2025 तक देय है, साथ ही वसूली होने तक 15.35 % और 15.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय है।	भौतिक	रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का वह पूरा हिस्सा, एरिया 1000 वर्ग फुट, सर्वे नंबर 119/29/3/2, पी.एच. नंबर 41, ग्राम सिकुआ तहसील दाती जिला धार (म.प्र.) **सीमाएँ:-** पूर्व- तेजा पुत्र धन्ना सिरवी की जमीन पश्चिम-मुस्ताक पुत्र मजीद खान की जमीन उत्तर-गली दक्षिण- कच्चा रास्ता लेफ्ट 20 X 50 फुट टोटल एरिया 1000 वर्ग फुट या 92.93 वर्ग मीटर	रू. 21,00,000.00/- (केवल इक्कीस लाख रुपये)	रू. 2,10,000.00/- (केवल दो लाख दस हजार रुपये)	12-08-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	28-07-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	13-08-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों पर जाएँ, अपनी स्वयं की जाँच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तृतीय-पक्ष के हितों का पता लगाएँ और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं संतुष्ट हो लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े अन्य सभी बकाया, यदि कोई हों, जैसे सभी वैधानिक बकाया, सफल बोलीदाता द्वारा पता लगाकर चुकाए जाने चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) पता- प्लॉट संख्या-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर-7291981124,25,26 सहायता ईमेल आईडी-**Support@bankeauctions.com**, **संपर्क व्यक्ति-परणी पी, ईमेल आईडी-dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर-9948182222** से लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है, पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता तभी से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस ''गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड-नीलामी आय खाता,'' बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या-091551000028 और आईएफएससी कोड- ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44, विमन नगर-411014 के खाते में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से **12-08-2026 को या इससे पहले** जमा करें और **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करें और निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां ई-मेल पर अपलोड करवानी होंगी और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी पते पर भेजनी होगी: **पताः प्रथम तल, एसपी टॉवर, रविन्द्र नगर, खरगोन, मध्य प्रदेश – 451001 मोबाइल नंबर +91 8281138143 ई-मेल आईडी p.adith@grihumhousing.com नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएँ।**

इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को 30 (तीस) दिन का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर है, तो फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

दिनांकः 11.07.2026 स्थानः धार (म.प्र.) — **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

अस्ति वसूली शाखा, इन्दौर
12/12-ए, दूसरी मंजिल, अनूप नगर, जीवन प्रदीप, एल.आई.सी. बिल्डिंग, सीएचएल हॉस्पिटल के सामने, इन्दौर 452011

परिशिष्ट IV-ए [नियम 9(1) देखे]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

संपत्ति विवरण हेतु QR कोड स्केन करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को और विशेष रुप से ऋणीओं एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं। जिनका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक / सांकेतिक आधिपत्य** ले लिया गया है, उन्हें ''जहां है जैसा है'' और '' जो कुछ भी है'' के आधार पर **28.07.2026, को दोप. 12.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक** ई-नीलामी की जाना है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम जमा राशि का उल्लेख नीचे किया गया है।

क्रं.	ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण	वसूल की जाने वाली राशि (खर्चो को छोड़कर)	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	बोली वृद्धि राशि
1	**ऋणी/यों- मैसर्स धनराज ट्रेडर्स (प्रोप्राइटर) श्री दिनेश राठौड़ पिता श्री बाबूलाल राठौड जमानतदार/रों**	आवासीय मकान नं. 29, वार्ड नं. 9, कसेरा बाजार मेन रोड, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **क्षेत्रफल :** 900 वर्गफीट, **चर्तुसीमा :** उत्तर: कसेरा बाजार लक्ष्मीबाई मार्ग, दक्षिण: कॉमन लेन, पूर्व : श्री हीरालाल कसेरा का मकान, पश्चिम: श्री लक्ष्मीनारायण राठौर का मकान **(सांकेतिक आधिपत्य)**	Rs. 12,45,69,713.11 as on 31.01.2025	Rs. 25,20,000/-	Rs. 2,52,000/-	Rs. 25,200/-
2	**2 ए) श्री दिनेश राठौड पिता श्री बाबूलाल राठौड 2 बी) श्री मुकेश राठौड पिता श्री बाबूलाल राठौड 2 सी) श्री सुरेश राठौड पिता श्री बाबूलाल राठौड**	सर्वे नं. 57/1 कृषि उपज मंडी के पास, वार्ड नं.29, ए. बी. रोड बायपास के पीछे ग्राम फूलखेडी, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) स्थित परिवर्तित व्यावसायिक भूमि के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर एवं श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **क्षेत्रफल :** 1934 वर्गमीटर, **चर्तुसीमा:** उत्तर: पुराना बायपास रोड एवं कांकड, दक्षिण: सरकारी कांकड, पूर्व: श्री इब्राहिम खान की जमीन, पश्चिम: श्री इब्राहिम खान की जमीन **(सांकेतिक आधिपत्य)**		Rs. 26,10,000/-	Rs. 2,61,000/-	Rs. 26,100/-
3	**ऋणी : सुनील मिश्रा, जमानतदार : अमरदीप सिंह खेड़ा**	फ्लेट नं. 202, भवन की दूसरी मंजिल, म्युनिसिपल मकान नं. 82, नया नं. 138, 139 (नया नं. 168-169), देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड़, इन्दौर स्थित आवासिय संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सुपर बिल्ट अप **क्षेत्रफल** 111.52 वर्गमीटर, (पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार); निर्मित क्षेत्रफल 600 वर्गफीट (भौतिक माप के अनुसार) **चर्तुसीमा :** पूर्व : कॉमन पैसेज, पश्चिम : लिफ्ट एवं सिढ़ीयां, उत्तर : मकान नं. 167 जेल रोड़, दक्षिण : मकान नं. 170 जेल रोड़ **(भौतिक आधिपत्य)**	Rs.63,36,435.88 as on 31.10.2022	Rs. 15,00,000/-	Rs. 1,50,000/-	Rs. 15,000/-
4	**ऋणी : 1 ए) मेसर्स जय भवानी खाद बीज भंडार, प्रोप्रा. – श्री राजेश राठौर पिता स्व. श्री सुरेश राठौर 1 बी) श्री राजेश राठौर पिता स्व. श्री सुरेश राठौर जमानतदार : 2. मृतक श्री सुरेश राठौर के कानूनी वारिस द्वारा प्रतिनिधित्व : 2.ए. राधाबाई पति स्व. श्री सुरेश राठौर 2.बी. वीरेंद्र राठौर पिता स्व. श्री सुरेश राठौर 2.सी. राजेश राठौर पिता स्व. श्री सुरेश राठौर 2.डी. चेतन राठौर पिता स्व. श्री सुरेश राठौर 2.ई. सुषमा पिता स्व. श्री सुरेश राठौर 2.एफ. सपना पिता स्व. श्री सुरेश राठौर 2.जी. अन्य सभी कानूनी वारिस यदि कोई हों**	सेटलमेन्ट नं.209, वार्ड नं.18/20, मकान टैक्स पंजीकरण नं. 104, कस्तुरबा मार्ग गली नं. 2, सेन्धवा, तेहसील सेन्धवा, जिला बड़वानी स्थित आवासीय मकान के समस्त भाग एवं अंश, **संपत्ति मालिक** स्व. श्री सुरेश राठौर पिता मोजीलाल राठौर **संपत्ति का क्षेत्रफल** 88.24 वर्गमीटर **चर्तुसीमा :** पूर्व : पुनमचंद गोयल का मकान, पश्चिम: आशाबाई गुलाबचंद का मकान, उत्तर: गंदी गली, दक्षिण: कस्तुरबा मार्ग रोड़ **(सांकेतिक कब्ज़ा)**	Rs. 43,89,291.20 as on 31.12.2023	Rs. 28,00,000/-	Rs. 2,80,000/-	Rs. 28,000/-
5	**ऋणी - 1. मेसर्स गुरुनानक कोल डिपो प्रोप्राइटर - श्री रघुबीर सिंह पिता स्वर्गीय श्री सावन सिंह चावला जमानतदार - 2.(ए) श्रीमती शकुंतला पति स्वर्गीय श्री सावन सिंह चावला 2 (बी) श्रीमती बबीता पति रघुबीर चावला 2 (सी) श्री. प्रितपाल सिंह चावला पिता ठाकुर सिंह चावला**	आवासीय मकान नं.28/2/1 के समस्त भाग एवं अंश, पटवारी हल्का नं.43, सनावद रोड़ सोनी कॉलोनी, शास्त्री वार्ड नं.01, ग्राम एवं तहसील भीकनगाँव जिला खरगोन 451331, **क्षेत्रफल** 1249 वर्ग फुट, **मालिक : श्रीमती बबीता चावला पति रघुबीरसिंह चावला, चर्तुसीमा:** उत्तर: श्याम सेन का मकान, दक्षिण: भीम सिंह का मकान, पूर्व: मदन भाटिया की संपत्ति/सनावद रोड, पश्चिम: खुला प्लॉट/कॉलोनी रोड **(भौतिक आधिपत्य)**	Rs. 74,46,093.89 as on 31.07.2023	Rs. 41,50,000/-	Rs. 4,15,000/-	Rs. 41,500/-
6	**ऋणी/ओं : 1. मेसर्स मालू इंडस्ट्रीज (एक साझेदारी फर्म)** साझेदारों के माध्यम से ● **श्री सुयश मालू ● श्रीमती संध्या मालू जमानतदार/ओं - 2 ए. सुयश मालू, 2बी. संध्या मालू, 2 सी. सुनील मालू, 2 डी. श्याम सुंदर मालू, 2 ई. चेतन भायरे पिता वल्लभ दास**	नगर पालिका मकान नं. 95, वार्ड नं. 3, महाराणा प्रताप मार्ग गली, ग्राम लोहारदा, तहसील कन्नौद, जिला देवास म.प्र. 455440 स्थित आवासीय संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, **क्षेत्रफल लगभग** 312 वर्ग मीटर, **चर्तुसीमा:-** उत्तर- हीरालाल पटेल का मकान, दक्षिण- महाराणा प्रताप मार्ग गली, पूर्व- श्री बद्रीप्रसाद शर्मा का मकान, पश्चिम- श्री विष्णु एवं कैलाश का मकान **संपत्ति मालिक : श्याम सुंदर मालू एवं सुनील कुमार मालू (सांकेतिक आधिपत्य)**	Rs. 14,01,56,679.96 as on 30.04.2024	Rs. 53,50,000/-	Rs. 5,35,000/-	Rs. 53,500/-

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथी : नीलामी के अंतिम समय से पहले ईएमडी जमा कर ईएमडी राशि को संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप करना होगा। यह सूचित किया जाता है कि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए ईएमडी राशि को पहले ही जमा कर दें एवं संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप कर दें।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट अर्थात **(www.unionbankofindia.bank.in)** पर दिए गए लिंक **"https://baanknet.com"** का संदर्भ लें एवं सेवा प्रदाता **पीएसबी एलायंस की वेबसाइट 'https://baanknet.com'** पर जाएं। रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी हेतु ई-मेल करें **support.BAANKNET@psballiance.com** उक्त तालिका में दिया गया सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदान किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की गलती, त्रुटी या भूल के लिए प्रधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं रहेगा। सफल बोलीकर्ता को सफल बोली राशि कि 25% राशि सम्पत्ति की नीलामी के अगले कार्य दिवस तक की समय अवधि में जमा करनी होगी, शेष 75% राशि नीलामी समाप्ति से 15 दिन में जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई राशि/राशियाँ जब्त कर ली जाएंगी और विक्रय की गई संपत्ति के प्रति चूककर्ता क्रेता के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और बैंक उस सम्पत्ति को पुनः विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उक्त नीलामी **https://baanknet.com** के माध्यम से कि जाएगी अतः इच्छुक बोलीकर्ता को अपना पंजीयन अपने मोबाईल नं. तथा ईमेल आइडी का प्रयोग करते हुए करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने/स्थगित करने या ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का प्रधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है।

नोट: कृपया इस नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार के भार, न्यायालय आदेश या अन्य विवरण के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट एवं बैंकनेट पोर्टल देखें।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 11.07.2026

ह/- प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिवस विक्रय हेतु वैधानिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में समझा जाएगा।